

बिहार सरकार

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

प्रेषक,

सुधीर कुमार,

वन संरक्षक-सह-अपर सचिव।

सेवा में,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय),

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,

एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, द्वितीय तल,

झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड मुख्यालय,

हरमू चौक राँची, झारखण्ड,

राँची-834002

पटना-15, दिनांक.....

विषय :- कैमूर जिलान्तर्गत NH-219 (मोहनियाँ-भभुआ-चैनपुर-यू०पी० बॉर्डर तक) 40.46-46.80 कि०मी० पथ के चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 8.00 हे० वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव पर सैद्धांतिक स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संदर्भ में सूचित करना है कि कैमूर जिलान्तर्गत NH-219 (मोहनियाँ-भभुआ-चैनपुर-यू०पी० बॉर्डर तक) 40.46-46.80 कि०मी० पथ के चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 8.00 हे० वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव, कार्यपालक अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, पथ निर्माण विभाग, औरंगाबाद द्वारा समर्पित किया गया है, जिसे प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना के अनुमोदनोंपरांत नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण) द्वारा उपलब्ध कराया गया है।

विषयांकित परियोजना में 8.00 हे० वन भूमि का अपयोजन प्रस्तावित है। परियोजना निर्माण के क्रम में प्रभावित होने वाले 226 वृक्षों में से 90 वृक्षों का पातन एवं 136 वृक्षों का पुनर्स्थापन प्रस्तावित है। तत्संबंधी वृक्ष सुरक्षा योजना संलग्न है। विषयांकित अपयोजन प्रस्ताव हेतु वानस्पतिक घनत्व 0.1 अंकित किया गया है।

अपयोजित होने वाली वनभूमि के लिए जिला पदाधिकारी, कैमूर द्वारा निर्गत FRA, 2006 प्रमाण-पत्र प्रस्ताव के साथ संलग्न है। प्रस्तावित अपयोजन प्रस्ताव में कैमूर वन प्रमंडल के लिए टोपो सीट संलग्न है।

परियोजना निर्माण के क्रम में कुल 8.00 हे० अपयोजित होने वाली वन भूमि के बदले क्षतिपूरक वनीकरण हेतु दुगुना 16.00 हे० अवकृष्ट वन भूमि को कैमूर वन प्रमंडल के चैनपुर वन प्रक्षेत्र के मझियागाँवा PF को चिन्हित करते हुए 43,28,904/- (तेतालीस लाख अठाईस हजार नौ सौ चार रुपये) मात्र प्राक्कलन वन प्रमंडल पदाधिकारी, कैमूर से प्राप्त की गयी है। क्षतिपूरक वनीकरण के लिए चिन्हित वन भूमि का Geo-referenced नक्शा एवं वन भूमि क्षतिपूरक वनीकरण के लिए उपर्युक्त है का प्रमाण पत्र भी प्रस्ताव के साथ संलग्न है।

विषयांकित प्रस्ताव में संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी का अनुशंसा प्रपत्र-II के रूप में एवं वन प्रमंडल पदाधिकारी का स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन संलग्न है। वन संरक्षक द्वारा प्रस्ताव की

अनुशंसा की गयी है, जिसका अनुमोदन प्रपत्र-III के रूप में एवं नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण), बिहार द्वारा की गयी अनुशंसा प्रपत्र IV के रूप में संलग्न है।

वन (संरक्षण), अधिनियम, 1980 के तहत निम्नांकित शर्तों के साथ प्रस्ताव की अनुशंसा की जाती है :-

1. भूमि का वैधानिक स्वरूप यथावत रहेगा।
2. 8.00 हे० वन भूमि के लिये नेट प्रजेन्ट भेल्यू (NPV) के मद में रु० 9.57780 लाख प्रति हे० के दर से रु० 76,62,240/- (रुपये छियतर लाख बासठ हजार दो सौ चालीस) मात्र को प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार के पक्ष में जमा कराया जायेगा।
3. अपयोजित होने वाली 8.00 हे० वन भूमि के बदले में क्षतिपूरक वृक्षारोपण के लिए कैमूर वन प्रमंडल अन्तर्गत 16.00 हे० अवकृष्ट वन भूमि को सुरक्षित वन में चिन्हित करते हुए रुपये 43,28,904/- (रुपये तेतालीस लाख अठाईस हजार नौ सौ चार रुपये) मात्र का प्राक्कलन प्रस्ताव के साथ संलग्न है। क्षतिपूरक वृक्षारोपण की राशि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा अद्यतन मजदूरी दर पर उपलब्ध करायी जायेगी।
4. वृक्षों का पातन विभागीय देखरेख में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा अपने खर्च पर किया जाएगा एवं पातित काष्ठ को विभागीय वनागार तक पहुँचाया जाएगा। प्राप्त काष्ठ की नीलामी इत्यादि के लिए विभाग को 1492/- रुपये प्रति घनमीटर की दर से राशि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराएगी।

प्रस्ताव को संलग्न अभिलेख सहित भेजते हुए अनुरोध है कि उपर्युक्त प्रस्ताव के संदर्भ में लिये गये निर्णय से राज्य सरकार को संसूचित करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(सुधीर कुमार)

वन संरक्षक-सह-अपर सचिव

ज्ञापांक :- वन भूमि-81/2022...../प०व०ज०प०, पटना-15, दिनांक.....

प्रतिलिपि :- प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)-सह-नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण), बिहार/कार्यपालक अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, पथ निर्माण विभाग, औरंगाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

(सुधीर कुमार)

वन संरक्षक-सह-अपर सचिव

ज्ञापांक :- वन भूमि-81/2022 93(30) प०व०ज०प०, पटना-15, दिनांक 05/01/23

प्रतिलिपि :- आई०टी० मैनेजर, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को निदेश दिया जाता है कि प्रस्ताव को मंत्रालय के वेब-साईट पर अपलोड करते हुए पार्ट-2 उपलब्ध कराया जाय।

5/1/2023

(सुधीर कुमार)

वन संरक्षक-सह-अपर सचिव

PART-V

(To be filled in by the Secretary Charge of forest Department or by any other authorizes officer of the State Government not below the rank of an Under Secretary)

Adverse comments made by any officer or authority in Part-B or Part-C or Part-D above should be specifically commented upon.

The proposed diversion of 8.00 ha. forest land for widening & strengthening Project of NH-219 Mohania-Bhabhua-Chainpur-UP Boarder under Kaimur District may be sanctioned subject to the condition/stipulation mentioned in the forwarding letter.

Date:-.....5/1/2023.....

Place:-.....PATNA.....

Signature:- Sudhir Kumar

Name of Designation: **अवर सचिव**
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
बिहार, पटना

Official Seal:-